(दिल्ली असाधरण गजट भाग - IV में प्रकाशित करने के लिए)

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

## (विकास विभाग)

## कृषि विपणन निदेशालय

## 49,अलीपुर रोड., पुराना सचिवालय,दिल्ली- 54

सं0एफ0 8/12/2000/डी ए एम/ एम आर (I)/ 4380-4403 दिनांक 10-11-2000

## अधिसूचना

सं0एफ0 8/12/2000/डी ए एम/ एम आर (I)/ दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं0-7) की धारा 79 के साथ पठित धारा 116 द्वारा प्रदत शक्तियो और ऐसा करने मे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कृषि उपज विपणन को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

## दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन) सामान्य नियम,2000

1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियमावली,2000 कही जायेंगी।

(1) ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियमावली,2000 कही जायेंगी।

(2) ये सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 परिभाषाएं :-

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक -

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय:, दिल्ली कृषि उपज विपणन ( विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम स0-7) है।

(ख) 'खरीददार ' से अभिप्राय: उस व्यक्ति,फर्म, कम्पनी या सहकारी समिति अथवा सरकारी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक निकाय से है, जो अपने तथा अपने व्यवसाय के लिए या किसी व्यक्ति अथवा एजेंट के लिए बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज की खरीद करता है अथवा खरीद के लिए सहमत होता है ।

(ग) 'सहकारी समिति' से अभिप्राय: कोई पंजीकृत सहकारी समिति या दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1972 (1972 का 35) के अन्तर्गत इस प्रकार पंजीकृत समझी जाए या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार कृषि उपज विपणन का व्यापार करती है या इसके लिए लाइसेंस रखती हो।

(घ) 'विकास आयुक्त' से अभिप्राय: - और इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कृषि विपणन विभाग के सचिव शामिल हैं।

(ङ) 'निदेशक' से अभिप्राय: सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त दिल्ली कृषि विपणन के निदेशक से है।

(च) 'निर्यात' से अभिप्राय: कृषि उपज का भारत से बाहर निर्यात है।

(छ) 'वितीय वर्ष' से अभिप्राय: 1 अप्रेल से शुरु तथा 31 मार्च को समाप्त वर्ष से है, इसके बाद अगला वर्ष शुरु होगा।

(ज) 'फार्म' से अभिप्राय: इन नियमों के संलग्न फार्म से हैं ।

(झ) 'आनुषंगिक सेवा शुल्क ' से अभिप्राय: विक्रेता द्वारा देय शुल्क से हैं ।

(ञ) 'लाइसेंस धारक' से अभिप्राय: उस व्यक्ति से हैं जिसके पास इन नियमों के अतर्गत या नए नियमों द्वारा इन्हें रद्द करने के बाद उस (नए नियम) के अंतर्गत जारी लाइसेंस से है।

(ट) 'बाजार' से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतगर्त एक बाजार क्षेत्र के लिए स्थापित नियमित बाजार से हैं और इसमें धारा 26 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय महत्व का बाजार और धारा 23 के अंतर्गत स्थापित मुख्य बाजार और सहायक बाजार भी शामिल हैं।

(ठ) 'बाजार सेवा शुल्क' से अभिप्राय: क्रेता द्वारा देय शुल्क से है।

(ड) 'बाजार कार्यकर्त्ता' से अभिप्राय: व्यापारी, दलाल, कमीशन एजेंट, खरीददार, पल्लेदार, संसाधक, संग्रहकर्त्ता, शीतभंडारण, परिचालक, व्यापारी, तौलकर्त्ता , और उपविधियों के अतर्गत अधिसूचना द्वारा बाजार में कार्यकर्त्ता के रूप में घोषित ऐसे अन्य व्यक्ति से हैं।

(ढ) 'विपणन' से अभिप्राय. अधिसूचित कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय से है, इसमें ग्रेडिंग, पैकिंग, मानकीकरण, संसाधन, भंडारण, शीत भंडारण, गोदाम, परिवहन, नियार्त , वितरण-माध्यम और ऐसे कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय से जुड़े अन्य सभी कार्य और कृषि उत्पाद को उत्पादन केंद्र से लाने सबंधी सभी गतिविधियाँ शामिल है।

(ण) 'धारा ' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा और उप धारा से हैं।

(त) 'विक्रेता' से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो कोई अधिसूचित कृषि उत्पाद बेचता है या बेचने के लिए सहमत होता हैं तथा इसमें किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसके एजेंट या नौकर या कमीशन-एजेंट के रूप में कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल हैं।

(थ) 'वाहन' से अभिप्राय मोटर वाहन या गाड़ी या अन्य यान, पशु या वाहन से है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त कोई शब्द या अभिव्यक्ति, जिनकी व्याख्या नहीं की गई हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया हैं।

5 परिषद - उपाध्यक्ष को देय भत्ते और सुविधाएं :-

परिषद के उपाध्यक्ष अपनी सेवा से सबद्ध ग्रेड के वेतन एव भत्ते प्राप्त करेंगे जिससे सबद्ध होने के
कारण उन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है । उन्हें दो हजार पाँच सौ रूपये की राशि प्रतिमाह विशेष
कार्यभार भत्ते के रूप में भी दी जायेगी। परिषद द्वारा स्टाफ कार , कार्यालय व निवास पर फोन तथा
परिषद द्वारा स्वीकृत अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेगी। तथा अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौंपी गई
ड्यूटी और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जायेगी ।

6 परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को भत्ते :-

(1) परिषद के गैर सरकारी सदस्य को परिषद या इसकी समिति या उप समिति की प्रत्येक बैठक
में भाग लेने के लिए पाँच सौ रूपये बैठक भत्ता दिया जायेगा । इसमें वे सभी खर्च शामिल होंगे
जो एक सदस्य द्वारा परिषद , उसकी समिति या उपसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए
या उससे सबद्ध कार्य के लिए परिवहन या अन्य सहायक मदो पर खर्च किए गए हो ।

(2) परिषद के गैर सरकारी सदस्य, परिषद द्वारा किसी काम से दिल्ली से बाहर भेजे जाने पर
सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कार्यकारियों (अधिकारियों) को देय दर पर यात्रा
भत्ते, दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

7 समिति- सदस्यों को भत्ते :-

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य को समिति या उपसमिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के
लिए बैठक-भत्ते के रूप में क्रमश: तीन सौ रूपये, दो सौ पच्चत्तर रूपये, दो सौ पचास रूपये दी
जाएगी। इसमें वे सभी खर्च शामिल होंगे जो एक सदस्य द्वारा बैठक में भाग लेने या उससे
संबद्ध कार्य के लिए परिवहन या अन्य सहायक मदों पर खर्च करने पड़ते है ।

(2) समिति के सदस्यों को समिति के कार्य से दिल्ली से बाहर यात्रा करने के लिए नियुक्त किए
जाने पर और राष्ट्रीय महत्व की किसी मंडी की विपणन समिति के सदस्य द्वारा दिल्ली से
बाहर से आने पर, सरकार के सार्वजनिक संस्थानों के कार्यकारियों (अधिकारियों) को देय दर
पर यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते दिए जाएगे ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के उद्देश्य के लिए परिषद या समिति जैसी भी स्थिति हो, की बैठक मे इसकी उप
समिति की बैठक शामिल की जायेगी ।

8 समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए किसान की योग्यता :-

अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित 'किसान ' अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के
अंतर्गत सरकार द्वारा विपणन समिति का सदस्य नामित किए जाने योग्य होगा, यदि :-

(1) वह दिल्ली की स्थानीय सीमा में रहता हो,
(2) वह 25 वर्ष से अधिक उम्र का हो,
(3) वह किसी दुराचरण के लिए पहले कभी किसी समिति की सदस्यता से न हटाया गया हो,
(4) वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
(5) वह दिवालिया न हो और न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया हो ।

## अध्याय - II

## बजट और खाते

9. परिषद का बजट :-

(1) परिषद प्रति वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में चालू वर्ष के संशोधित खर्च अनुमानों और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों को पारित करने के लिए बैठक करेगी।

(2) संशोधित खर्च अनुमान और बजट अनुमान परिषद द्वारा पारित किए जाने पर स्वीकृति के लिए जिस वर्ष का बजट है उससे पूर्व 31 जनवरी तक सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सरकार को प्रस्तुत बजट, संशोधन सहित या संशोधन रहित 31 मार्च तक वापिस नहीं मिलता है तो यह मान लिया जायेगा कि सरकार ने परिषद द्वारा प्रस्तुत बजट (यथा रूप) पारित कर दिया है।

(3) परिषद द्वारा तब तक कोई खर्च नहीं किया जायेगा जब तक कि बजट में उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था न हो तथा वह सरकार द्वारा पूर्णरूपेण स्वीकृत हो।

(4) परिषद सरकार की स्वीकृति के बिना एक खाते शीर्ष से राशि दूसरे खाते में पुर्न विनियोजन कर सकती है परन्तु यह केवल सरकार द्वारा स्वीकृत्त कुल बजट- आबंटन की सीमा में ही किया जा सकता है।

(5) परिषद आवश्यक होने पर अनुपूरक बजट तैयार कर सकती है और यदि कोई ऐसा खर्च करना है जिसका मूल बजट में प्रावधान नहीं है तो वह सरकार की पूर्व स्वीकृति (उस खर्च के लिए) प्राप्त करेगी।

10. समिति का बजट :-

बजट अनुमान तैयार करने, प्रस्तुत करने, अनुपूरक बजट इसकी स्वीकृति और समिति द्वारा खर्च किए जाने के सबंध में उपर्युक्त नियम 9 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसमें समय सीमा, बजट तैयार करने, उसे अंतिम रूप देने तथा समिति के बजट को परिषद द्वारा स्वीकृति के लिए 3 महीने होगी । समिति अपना बजट अधिकतम 31 दिसम्बर तक, स्वीकृति के लिए परिषद को भेजेगी । यदि इस प्रकार भेजे गए बजट अनुमान अगले वर्ष 31 मार्च तक संशोधन सहित या संशोधन रहित रूप में परिषद से वापिस प्राप्त न हों तो यह माना जायेगा कि परिषद ने इन्हें समिति द्वारा भेजे गए रूप में ही (बिना संशोधन के) पास कर दिया है । एक ऐसे शीर्ष से दूसरे में पुन नियोजन का परिषद के उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकेगा।

## 11 परिषद और विपणन समितियों के खाते :-

(1) परिषद द्वारा प्राप्त सभी धन राशि , बाजार विकास निधि में जमा की जायेगी जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत की गई है।

(2) विपणन समिति द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और धन राशि, दण्ड स्वरूप वसूली गई राशि (आपराधिक मामले में दण्ड स्वरूप वसूली से भिन्न) , समिति द्वारा उठाए गए सभी ऋण और सरकार द्वारा समिति को दिए गए सभी अनुदान, ऋण या अंशदान, अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत गठित बाजार निधि का हिस्सा होंगे।

(3) न्यायालय द्वारा अपराधी से प्राप्त सभी जुर्माने यथा स्थिति बाजार विकास निधि या बाजार निधि में जमा किए जाएंगे।

(4) विपणन समिति को मध्यस्थता शुल्क और मध्यस्थता प्रक्रिया की लागत के लिए धरोहर राशि या किसी विवाद से संबंधित कोई राशि या धरोहर राशि, भविष्य निधि- अंशदान या किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के लिए भुगतान प्राप्त होता है या तौला, पल्लेदार और अन्य कार्यकर्त्ताओं को देय प्रभार या विपणन समिति को नियमों, उपनियमों के अंतर्गत ऐसी अन्य कोई राशि प्राप्त होती है तो वह बाजार निधि का हिस्सा नहीं होगी और वह समय-समय पर निदेशक द्वारा निर्धारित तरीके से रखी जायगी ।

(5) परिषद की बाजार विकास निधि और समिति की बाजार निधि में जमा राशि निदेशक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके खातों में जमा कराई जायेगी ।

(6) परिषद और समिति द्वारा अग्रदान के अतिरिक्त शेष सभी भुगतान चैक द्वारा किए जाएगे ।

(7) जब तक कि खर्च करने के लिए बजट प्रावधान न हो, कोई बिल नहीं बनाया और पास किया जायेगा।

(8) उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिल की जांच करने और उसे पास किए बिना तथा परिषद के मामले में सचिव और लेखा अधिकारी व समितियों के मामले मे समिति के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर किए बिना कोई चैक जारी नहीं किया जायेगा ।

(9) परिषद/समिति द्वारा किया गया कोई खर्च, सामान्य वित्तिय नियम और सहायक नियम की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप और सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुरूप होगा।

(10) परिषद या समितियों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो प्राप्त राशि के लिए तुरंत 'के' फार्म में रसीद जारी की जायेगी।

(11) परिषद और समितियों में खातो और लेखा परीक्षा के रखरखाव के मामले में, परिषद-उपाध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुदेशों का पालन किया जायेगा ।

(12) सभी प्राप्तियों और खर्चो के खाते परिषद के सचिव और लेखा अधिकारी द्वारा तथा समितियों के मामले में सचिव और लेखा प्रभारी द्वारा रखे जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(13) परिषद और समिति के प्राथमिक (अनिवार्य) खर्चो के पूरा करने के बाद शेष राशि को सरकार की लघु अवधि व दीर्घ अवधि योजनाओ में ओर व्यापारिक बैंको में या बाजार विकास निधि कें मामले में निदेशक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य योजना में लगाया जायेगा अर्थात निवेश किया जायेगा ।

12 परिषद और समिति के खातों का रखरखाव :-

परिषद और समिति की सभी प्राप्ति और खर्च के खातों का रखरखाव समय-समय पर निदेशक द्वारा निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

13 परिषद को अंशदान और सरकार को खर्च (लागत) की रकम भेजना:-

(1) अधिनियम की धारा 89 की उपधारा ( 2) की धारा (क) के अंतर्गत समितियों द्वारा परिषद को देय अंशदान की राशि, समितियों द्वारा प्रति माह अगले महीने के पहले सप्ताह में भेज दी जायेगी।

(2) अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) की धारा (ख) के अंतर्गत सरकार को देय खर्च, सरकार द्वारा उल्लिखित अवधि में, सरकार द्वारा निर्धारित तरीके व अनुपात में देय होगा।

(3) यदि उपर्युक्त उप नियम (1) और (2) मे देय अंशदान या खर्च भेजने में बिना किसी उचित कारण के या बिना कोई सफाई दिए तीन महीने से अधिक की देरी होती है तो यह समिति के अध्यक्ष/सचिव के कार्य (ड्यूटी) निसपादन मे कमी मानी जायेगी।

14 खातों की लेखा परीक्षा :-

(1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तुरंत, निदेशक द्वारा प्राधिकृत सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउन्टेंट) द्वारा वर्ष मे एक बार परिषद के खातों की लेखा परीक्षा की जायेगी और अधिनियम की धारा 87 में विशेष रूप से वर्णित सभी मदों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अनुवर्ती वर्ष की 30 सितम्बर तक निदेशक/सचिव, कृषि विपणन विभाग (विकास आयुक्त) को भेजी जायेगी।

(2) परिषद के खातों का लेखा परीक्षा शुल्क, समय-समय पर निदेशक द्वारा निर्धारित दर से परिषद द्वारा दिया जायेगा।

(3) विपणन समिति के खातों की लेखा परीक्षा वर्ष की समाप्त पर वर्ष में एक बार अनुवर्ती वर्ष की 30 सितम्बर तक निदेशक द्वारा प्राधिकृत सनदी लेखापाल द्वारा की जायेगी।

(4) विपणन समिति के खातों का लेखा परीक्षा शुल्क निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर समिति द्वारा दिया जायेगा।

(5) सचिव,कृषि विपणन विभाग (विकास आयुक्त) ,दिल्ली सरकार, किसी अधिकारी को किसी भी समय परिषद के खातों और भंडारों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है, यदि वह उचित समझे। सचिव/लेखा अधिकारी, परिषद उस अधिकारी को निरीक्षण के लिए लेखों आदि की सभी किताबें प्रस्तुत करेंगे ।

(6) उपाध्यक्ष- परिषद स्वयं या किसी अधिकारी को विपणन समिति की नकदी व भंडार-खातो की कम से कम छमाही (अर्द्ध - वार्षिक) निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता हैं और विपणन-समिति के सचिव की यह ड्यूटी होगी कि इस आवधिक निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं जुटाए और सभी दस्तावेज प्रस्तुत करे।

(7) परिषद के खातों की लेखा परीक्षा के मामले में लेखा अधिकारी,परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी और विपणन समिति के खातों की लेखा परीक्षा के मामले में सचिव समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिए मांगने पर सभी खाते, रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य सभी संबधित कागजात उसको प्रस्तुत करेगा या करायेगा । किसी विसंगति के निपटान के लिए उस अधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर उसे तुरंत दिया जायेगा ।

## अध्याय - III

## लाइसेंस देना, नवीकरण, निलंबन या रद्द करना

15 लाइसेंस देना :-

(1) विपणन समिति या जहॉं विपणन समिति काम नहीं कर रही हो वहॉं निदेशक, जो उचित समझे वह जांच करने के बाद लाइसेंस दे सकता है, नवीकरण कर सकता है, या लिखित कारण बताकर ऐसे किसी लाइसेंस को जारी करने या नवीकरण करने से मना कर सकता है।

(2) एक व्यक्ति जो बाजार परिसर/ क्षेत्र में कृषि उत्पाद विपणन के लिए किसी स्थान के प्रयोग के लिए लाइसेंस लेना चाहता है, या वहॉं व्यापारी, कमीशन एजेंट, आढ़ती, संसाधित करने वाले, तौला, मापक, सर्वेक्षक, गोदाम मे काम करने वाला या कृषि उत्पाद विपणन संबंधी किसी अन्य हैसियत से काम करना चाहता है तो वह फार्म (ए) या (डी) में उस क्षेत्र की समिति के सचिव को दो प्रतियों में आवेदन करेगा, जिसके क्षेत्र में वह अपना कार्य- व्यापार करना चाहता है या कृषि उत्पाद का विपणन करना चाहता है तथा वह समिति में अपेक्षित-लाइसेंस फीस और अपेक्षित प्रतिभूति नकद जमा करेगा।

(3) प्रतिभूति राशि वही होगी जो विपणन समिति द्वारा उपविधियों के अंतर्गत तय की जाए। इस नियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस फीस निम्न प्रकार होगी :-

| क्र. सं. | लाइसेंस की श्रेणी | लाइसेंस फीस(रू0) ( प्रति वर्ष) |
|---|---|---|
| (ए) | व्यापारी (थोक विक्रेता), आटा-चक्की,तेल निकालने वाले,दाल मिल सहित जो संसाधन के बाद बेचने के लिए कृषि उत्पाद खरीदते हैं । | 100/- |
| (बी) | मुख्य बाजार या सहायक बाजार में काम करने वाले कमीशन एजेंट। | 100/- |
| (सी) | मुख्य और सहायक बाजारों मे काम करने वाले दलाल (आढ़ती) । | 100/- |

| | | |
|---|---|---|
| (डी) | संसाधन करने वाले.शीतभंडारों और गोदामों सहित भंडारों में काम करने वाले | 100/- |
| (इ) | मुख्य और सहायक बाजार को छोड़कर, बाजार क्षेत्र में अपना व्यापार करने और केवल बाजार क्षेत्र मे उपभोक्ताओ को बेचने के लिए अपना परिसर स्थापित करने वाले खुदरा व्यापारी। | 50/- |
| (एफ) | तौला, मापक, सर्वेक्षक और समिति द्वारा मान्य अन्य इसी प्रकार के बाजार कार्यकर्त्ता । | 25/- |
| (जी) | पल्लेदार | 2/- |

बशर्ते 'इ' श्रेणी में वर्णित कार्यकर्त्ताओ को कमीशन एजेंटों से खरीदने (माल) की अनुमति नही दी जायेगी, जब तक कि समिति के सचिव द्वारा ऐसा करने की अनुमति नही दी जाए।

(4) ठेला चालक या उसके मालिक, रेहड़ा, रिक्शा, टैम्पो या ट्रक या सिर पर सामान ढोने वाले व्यक्ति द्वारा समय- समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिचक्कर फीस देनी होगी।

(5) धारा 55 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रावधानो के अनुसार बाजार मे वाहन और व्यक्ति की प्रविष्टि नियंत्रित करने के लिए कृषि उत्पाद के क्रय विक्रय के लिए वैध लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति बाजार में प्रवेश नही करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नही करेगा जबकि विपणन समिति की तरफ से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा न करने के लिए कहा जाए।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के उद्देश्य से 'व्यक्ति' में वाहन भी शामिल है।

(6) वर्ष 2000 में इन नियमों के लागू होने से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस शेष चालू अवधि के लिए वैध रहेंगे । इसकी अवधि समाप्त होने पर, लाइसेंस धारक इन नियमों के अनुसार तय दर पर नया लाइसेंस प्राप्त करेगा।

(7) जब तक कि लाइसेंस में अन्यथा न कहा जाए, इन नियमों के अंतर्गत जारी लाइसेंस एक साल की अवधि के लिए वैध रहेगा।

(8) सभी वर्गों के व्यापारी, तौला, मापक और बाजार क्षेत्र में काम करने वाले अन्य कार्यकर्त्ता उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए या उसके किसी भाग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फीस देंगें।

(9) आवेदन पत्र की प्राप्ति पर समिति का सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि जमा करा दी गई है और उसमें दिए गए तथ्यों की सत्यता की जांच करने के बाद उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(10) समिति यथा स्थिति, आवेदक को फार्म (बी) और (इ) में लाइसेंस जारी कर सकती है। लाइसेंस उसमें वर्णित शर्तों के अधीन होगा।

(11) समिति द्वारा इस नियम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों का रिकार्ड फार्म 'सी' में रखा जायेगा।

(12) व्यापार कार्य समाप्त होने के तीन महीने बाद, संबंधित समिति के सचिव द्वारा जारी क्लीयरेंस (कुछ लेना शेष नहीं) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति (राशि) समिति द्वारा वापिस की जायगी।

(13) लाइसेंस धारक किसी समय भी परिवर्तित श्रेणी के लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति देकर, लाइसेंस की श्रेणी बदलवानें के लिए आवेदन कर सकता है।

(14) जहॉ विपणन समिति का गठन नहीं हुआ हैं या उसने काम करना शुरू नही किया हैं, वहॉ निदेशक द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएगे। इस नियम के उपनियम 1 से 13 के उपबंध, निदेशक द्वारा लाइसेंस जारी करने के संबंध में लागू होंगे-बशर्ते इस तरह से वसूल की गई लाइसेंस फीस बाजार विकास निधि में जमा कराई जायेगी।

(15) समिति या निदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद 60 दिन के अंदर लाइसेंस जारी करेंगे। यदि आवेदन - पत्र प्राप्ति के बाद 60 दिन के अंदर लाइसेंस जारी या नवीकरण नहीं किया जाता है या ऐसा करने से इनकार नहीं किया जाता हैं तो यह मान लिया जायेगा कि यह जारी या नवीकृत कर दिया गया है।

16 **लाइसेंस रद्द या निलंबित करना :-**

(1) उप नियम 3 के प्रावधानों की शर्तो के अधीन विपणन समिति और जहॉ विपणन समिति गठित नही की गई हैं या उसने काम करना शुरू नही किया हैं, वहॉ निदेशक लिखित में कारण रिकार्ड करते हुए, जारी या नवीकरण किए गए लाइसेंस को इन नियमों के अंतर्गत निलंबित या रद्द कर सकते है :-

(क) यदि लाइसेंस जान बूझकर झूठ बोलकर या धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया हो।

(ख) यदि लाइसेंस धारक या उसकी तरफ से काम करने वाला उसका कोई नौकर या कोई व्यक्ति, जिसे उसने काम करने की अनुमति दी हुई है, लाइसेंस के नियम एव शर्तो का उल्लंघन करता है और या लाइसेंस धारक इस अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों और उप विधियों का उल्लंघन करता है।

(ग) यदि लाइसेंसधारक अन्य लाइसेंस धारकों के साथ मिलकर कोई काम करता है या जानबूझकर बाजार परिसर और या बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद विपणन में बाधा डालने, निलंबित करने या रोकने के लिए अपना सामान्य कार्य व्यापार नहीं करता है।

(घ) यदि लाइसेंस धारक को दिवालिया घोषित किया गया है और वह इससे मुक्त नही हुआ है, या

(च) यदि लाइसेंस धारक इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

(2) उपनियम (1) में कुछ भी अन्तर्विष्ट न होने के बावजूद उपनियम (3) के प्रावधानों के अधीन, निदेशक लिखित में कारण रिकार्ड करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के अंतर्गत जारी या नवीकृत किसी लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकते है।

(3) कोई लाइसेंस तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध, कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

17 **लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने से इनकार करना :-**

(1) समिति या जहाँ समिति गठित नहीं की गई है या उसने काम करना शुरू नहीं किया है निदेशक, जैसा भी मामला हो अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकता है, यदि :-

(क) लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

(ख) समिति इस बात से संतुष्ट हो कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने का उद्धेश्य, समिति के चुनाव में, लाइसेंस प्राप्त करके केवल वोटर बनना है।

(ग) पिछले वर्ष में बिना किसी उचित कारण के लाइसेंस क्रिया शील नहीं रहा अर्थात उसके आधार पर कोई कार्य नहीं किया गया।

(घ) आवेदन करने वाला व्यक्ति बेनामी है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझीदार है, जिसे लाइसेंस देने से मना किया गया है या उसका लाइसेंस रद्ध या निलंबित किया गया है तो उस रद्ध या निलंबन- अवधि के दौरान (लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है)।

(च) लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हैं जिससे कि उक्त व्यक्ति की व्यापारीके रूप में ईमानदारी शामिल (संदिग्ध) है, तो इस दोषसिद्धि के पाच वर्षों के अंदर।

(छ) लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास व्यापार करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन के लिए कोई परिसर नहीं है।

(ज) आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र (फार्म) में दी गई कोई सूचना वास्तव में गलत है।

(2) लाइसेंस जारी करने या उसके नवीकरण से इनकार करने के आदेश प्रभावित व्यक्ति की बात सुनने का उचित अवसर दिए बिना जारी नहीं किए जाएगे।

(3) यदि किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण् से मना किया जाता है तो उसके द्वारा जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति वापिस कर दी जायेगी।

18. **लाइसेंस का नवीकरण और उसकी अनुलिपि (डुपलीकेट) जारी करना :-**

(1) लाइसेंस उस अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए वह दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी आदेश के अधीन ऐसा लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित फीस का भुगतान करने पर उसका नवीकरण् किया जायेगा। नवीकरण के लिए आवेदन, फार्म (एफ) या (जी) जो संबंधित हो, मे किया जायेगा।

(2) यदि किसी बाजार क्षेत्र से कोई क्षेत्र अलग करके किसी दूसरे में मिलाया जाता है तो उस हटाए गए क्षेत्र के लिए जारी किया गया लाइसेंस, उस बाजार क्षेत्र की समिति द्वारा जारी

किया गया माना जायेगा जिसमें वह क्षेत्र मिलया गया हैं और वह उस क्षेत्र की समिति द्वारा नवीकरण् किए जाने योग्य होगा।

(3) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम 30 दिन पहले किया जायेगा।

इसमें आगे शर्त यह हैं कि लाइसेंस नवीकरण् के लिए सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा वार्षिक लाइसेंस फीस के बराबर जुर्माना राशि देने पर इसे अवधि समाप्त होने वाली तिथि के 30 दिन के अंदर नवीकृत कर-सक्ता हैं। लाइसेंस नवीकरण करने में सक्षम प्राधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कारण् आवेदक के नियंत्रण में नही था तो वह जुर्माना राशी, पूर्ण रूपेण समाप्त या किसी अंश तक कम कर सकता है।

इसमें आगे यह भी शर्त है कि कोई लाइसेंस वर्ष के किसी भाग के लिए जारी नहीं किया जायेगा।

अर्थात वह पूरे वर्ष के लिए ही जारी किया जायेगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक लाइसेंस का नवीकरण् इसकी अवधि समाप्त तिथि की अगली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

(5) उपनियम (3) की शर्तो के अतिरिक्त, अवधि समाप्ति पर लाइसेंस के नवीकरण् के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन को नया लाइसेंस जारी करने का आवेदन माना जायेगा।

(6) यदि कोई लाइसेंस खो जाता हैं तो लाइसेंस धारक द्वारा रू0 100/- का फीस के रूप में भुगतान करने पर उसी अधिकारी द्वारा इसकी अनुलिपि (डुप्लीकेट) जारी की जा सक्ती हैं, जिसने मूल लाइसेंस जारी किया था।

(7) लाइसेंस के नवीकरण या अनुलिपि के लिए फीस संबधित समिति को दी जायेगी।

19. **कुछ लाइसेंस जारी करने के विरूद्ध निषेध :-**

इसके आगे की शर्तो के अतिरिक्त कोई व्यक्ति एक समय मे एक श्रेणी से अधिक के लाइसेंस नही रखेगा।

परन्तु जैसा कि नियम 15 के उपनियम (2) मे उल्लिखित किया गया है यदि एक लाइसेंस धारक (ए) श्रेणी में आता है तो वह (बी) श्रेणी का लाइसेंस भी रख सक्ता है और इसके विपरीत (बी) श्रेणी का लाइसेंस धारक (ए) श्रेणी का लाइसेंस भी रख सक्ता है।

20. **लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त व्यक्ति :-**

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि उत्पाद खरीदनें के लिए लाइसेंस रखने से छूट प्रदान की जायेगी:-

(क) कोल्हू का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बशर्ते उसने बाजार क्षेत्र में दो से अधिक कोल्हू न लगाए हों।

(ख) फेरी वाले, जिनके पास व्यापार के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है।

(ग) आटा-चक्की के स्वामी यदि वे एक दिन मे 10 क्विंटल से कम खाद्यान्न खरीदते हैं। बशर्ते धारा (क) में वर्णित व्यक्ति के मामले मे खरीद सबंधित व्यक्ति की व्यावसायिक आवश्यक्ताओ को पूरा करने के लिए ही की जायेगी।

(2) निम्नलिखित को कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने से छूट दी जायेगी :-

(क) अनुसूचित बैंक जब किसी उत्पादक या लाइसेंस धारक के कृषि उत्पाद के विरुद्ध कार्यवाही करें, जिनको ऐसे कृषि उत्पाद की जमानत पर अग्रिम राशि दी हुई हैं।

(ख) वे फेरी वाले जो फेरी लगाने के अतिरिक्त, कृषि उत्पाद के किसी लेनदेन में संलग्न नहीं हैं।

(ग) वे किसान जो बिना किसी कमीशन एजेंट की सहायता के अपना माल यार्ड या उपयार्ड में स्वयं बेचते हैं। तथापि वे समिति से अनुमित /अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेंगे।

(3) निम्नलिखित को कृषि उत्पाद संसाधन के लिए लाइसेस लेने से छूट दी जायेगी, अर्थात :-

(क) चक्की वाले जो कृषि उत्पाद की कोई बिक्री या खरीददारी नहीं करते बल्कि जो केवल छीलने सहित उपभोक्ताओं के लिए कृषि उत्पाद की पिसाई करते है।

(ख) केवल धान कूटने में लगे हुए व्यक्ति।

(4) अनुसूचित बैंको को उस उत्पादक या लाइसेंस धारक के कृषि उत्पाद के भण्डरण के लिए, जिसको उन्होंने ऐसे कृषि उत्पाद की जमानत पर अग्रिम धन राशि दी थी तथा जिसने अपने कृषि उत्पाद को बैंक के पास गिरवी रख दिया था, भण्डरण व्यापार के लिए लाइसेंस लेने से छूट दी जायेगी।

(5) यदि यह विवाद उठता है कि इस नियम के अतंर्गत कोई व्यक्ति छूट का हक्दार है या नहीं, तो उपाध्यक्ष-परिषद, प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर देने के बाद मामले का निर्णय करेगा। उसका निर्णय अतिम होगा।

स्पष्टीकरण :-इस नियम के उपनियम (1) की धारा (ख) , उपनियम (2) की धारा (ख) के उद्धेश्य से फेरी वाले में, साइकिल, रिक्शा, रेहड़ा आदि चल वाहन पर कृषि उत्पाद बेचने में संलग्न व्यक्ति व सिर पर सामान बेचने वाले (फेरी वाले) भी शामिल हैं।

21 **लाइसेंस धारक द्वारा रखी जाने वाली किताबें :-**

(1). प्रत्येक लाइसेंस धारक :-

(क) वे किताबे उस प्रकार से रखेगा, जैसा कि समिति द्वारा समय- समय पर अपने उपनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।

(ख) वे सभी विवरण उसी समय और उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाएंगे जैसे कि समिति परिषद/निदेशक द्वारा निर्धारित किए जाएं या निर्देश दिए जाएं।

(2) नियमों के अर्न्तगत नियत सभी फार्म , व्यापारियों और अन्य कार्य कर्त्ताओ को समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिए जाएंगे तथा उनका मूल्य स्वंय फार्म पर ही लिखा होगा।

22 अपील की प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील पर दस रु0 की कोर्ट फीस- सटैम्प लगाई जायेगी।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जिसमे उस आदेश के विरूद्ध की गई आपत्ति का संक्षिप्त आधार दिया जायेगा जिसके विरूद्ध अपील की गई और उसके साथ विरोध किए जाने वाले आदेश की प्रति, कारण बताओ नोटिस की एक प्रति और उसके जवाब की एक प्रति भी संलग्न की जायेगी।

(3) लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने से मना करने या उसे निलंबित या रद्ध करने के समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील कर्ता या उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट ,द्वारा उस आदेश की प्राप्ति पर 30 दिन के अंदर परिषद- उपाध्यक्ष को अपील प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष, लाइसेंस निलंबित या रद्ध करने के समिति के निर्णय के विरूद्ध स्थगन-आदेश जारी कर सकता है या जैसा वह ठीक समझे।

(4) अपील की प्राप्ति पर उपाध्यक्ष उचित समय सीमा में मामले का निर्णय करेगा तथा वह संबंधित पार्टी को अपनी बात कहने का उचित अवसर देगा।

(5) जब निदेशक द्वारा लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने या निलंबित या रद्ध करने के आदेश जारी किए जाएं तो अपील, आदेश- प्राप्ति के बाद 30 दिन के अंदर सचिव, कृषि विपणन विभाग (विकास आयुक्त) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को की जायेगी तथा यदि वह उचित समझे तो उस आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा सकता है :-

इसमें शर्त यह है कि सचिव, कृषि विपणन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पार्टियों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देने के बाद अपील का निर्णय उचित समय सीमा में किया जायेगा।

(6) उपनियम 1 से 5 मे निर्दिष्ट प्रक्रिया सचिव, कृषि विपणन विभाग (विकास आयुक्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत की गई अपील के मामले मे लागू होगी :-

इसमें शर्त यह है कि उपाध्यक्ष परिषद या सचिव , कृषि विपणन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जैसा भी मामला हो, अपील रद्ध करने से पूर्व अपील कर्ता को अपनी बात कहने का उचित अवसर देगे और अपील रद्ध करने का कारण लिखित रूप मे रिकार्ड किया जायेगा।

23 जुर्माने के विरूद्ध अपील :-

(1) अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश के विरूद्ध अपील जुर्माने/ जुर्मानों की अदायगी पर 30 दिन के अंदर उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । इस तरह से की गई अपील में मामले का पूरा विवरण और पाँच रु0 कोर्ट फीस स्टेम्प लगी होगी तथा साथ ही उस आदेश की प्रति भी होगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(2) अपील प्रस्तुत करने के बाद उपाध्यक्ष, पार्टी को अपनी बात कहने का उचित अवसर देने के बाद उचित समय के अंदर मामले का निर्णय करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (2) के अंतर्गत की गई अपील यदि स्वीकृत कर ली जाती है तो अपील कर्ता को जुर्माना राशि वापस कर दी जायेगी।

24 फर्म आदि के गठन में परिवर्तन की सूचना :-

(1) प्रत्येक व्यापारी या कमिशन एजेंट को गठन में परिवर्तन, कारोबार बन्द होने, भग होने, फर्म कम्पनी, निगम, व्यक्तियों के समूह आदि में विभाजन अथवा उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना, ऐसी घटना घटित होने के 15 दिन के अन्दर विपणन समिति को देनी होगी।

(2) समिति, सूचना के औचित्य और यदि लाइसेंस धारक को कोई दुकान या प्लाट का आबंटन हुआ है तो आबंटन को शर्तों और प्रतिबन्धों की पूर्ति के प्रति, संतुष्ट होने पर लाइसेंस में आवश्यक संशोधन करने के आदेश देगी।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि फर्म विनिर्दिष्ट समय के अंदर समिति सचिव को उपनियम (1) में संदर्भित परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहती है तो वह नई फर्म/कम्पनी आदि का गठन माना जायेगा और उसके लिए नए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

(4) इस नियम में, सहकारी समिति को लाइसेंस प्रदान- करने के मामले में कुछ भी लागू नहीं होगा।

## अध्याय - IV

## कृषि उत्पाद का विपणन

25 आढ़ती या कमीशन एजेंट की सेवा अनिवार्य नहीं :-

(1) कोई व्यक्ति किसी लेन देन (सौदे) के लिए आढ़ती या कमीशन एजेंट की सेवा लेने को बाध्य नहीं होगा या किसी अन्य पार्टी द्वारा लेन देन के लिए नियुक्त आढ़ती को देने (कमीशन) या जब कोई भी नियुक्त न किया गया हो तो आढ़ती को कुछ देने की आवश्यकता नही होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी कमीशन एजेंट के माध्यम से किसी कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय मे संलग्न होता है, और वह कमीशन एजेंट अपने नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना उस सौदे के संबंध में किसी आढ़ती को नियुक्त करता है तो उस आढ़ती का कमीशन, उस कमीशन एजेंट को देय पारिश्रमिक में से देय होगा।

(3) एक ही व्यक्ति एक ही सौदे में कृषि उत्पाद के विक्रेता के लिए आढ़ती के रूप में काम नहीं करेगा।

26 **कृषि उत्पाद की बिक्री :-**

(1) बाजार में बिक्री के लिए लाए गए सभी कृषि उत्पाद मुख्य बाजार या सहायक बाजार में केवल खुली बोली द्वारा बेचे जायेगे।

(2) जैसा कि समिति की उपविधियों में उलिखित है, उप नियम (1), किसान द्वारा अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री पर लागू नही होगा।

(3) समिति किसी कृषि उत्पाद के संबंध में नीलामी शुरू व बंद होने का समय तय करेगी।

(4) कृषि उत्पाद का मूल्य गुप्त संकेत या गुप्त बोली द्वारा तय नहीं किया जायेगा और खुली बोली में प्राप्त व स्वीकार की गई सबसे ऊँची बोली में से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(5) समिति द्वारा निर्धारित समय और अनुदेशों के अनुसार नीलामी कमीशन एजेंट या विपणन समिति के नीलाम कर्त्ता (ओक्सनर) द्वारा की जायेगी।

(6) नीलामी- बिक्री में खरीददार द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली तथा उत्पाद-विक्रेता द्वारा अपना माल बेचने के लिए उस पर दी गई सहमति, उत्पाद का विक्रय मूल्य होगा।

(7) यह माना जायेगा कि खरीददार ने उस कृषि उत्पाद का पूर्ण रूपेण निरीक्षण कर लिया है जिसके लिए उसने बोली लगाई है और उसे इससे मुकरने (मना करने) का अधिकार नहीं होगा।

(8) जैसे ही एक ढेर की नीलामी समाप्त हो जाए, समिति- कर्मचारी फार्म 'एच' में रखी जाने वाली किताब में संबंधित विवरण भरेगा और खरीददार व विक्रेता दोनो या उनके प्रति निधि, जो भी उस समय वही उपस्थित हो, के हस्ताक्षर ले लेगा।

(9) समिति- कार्यालय में फर्म 'आई' में एक रजिस्टर रखा जायेगा और नीलामी के दौरान बिना बिक्री के शेष रहे कृषि उत्पाद के ढेरो की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जायेगी। प्रत्येक कमीशन एजेंट की यह ड्यूटी होगी कि वह बिना बिक्री वाले ढेरों या धानी को बेचने पर उसकी सूचना शीघ्र समिति को देगा। नीलामी के तुरत बाद यदि आवश्यक हो तो कृषि उत्पाद का वजन या गिनती या मापने की जिम्मेवारी खरीददार की होगी।

(10) यदि उत्पादक द्वारा कृषि उत्पाद को बेचने के लिए किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो वह उत्पादक की पूर्व स्वीकृति के बिना उस माल के संबंध में, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खरीददार के रूप में काम नहीं करेगा।

(11) कमीशन एजेंट माल की तुलाई के बाद विक्रेता को तुरंत भुगतान करेगा।

(12) प्रत्येक कमीशन एजेंट फार्म 'जे' में चार प्रतियों में रसीद तैयार करेगा। मूल प्रति बिक्री मूल्य के भुगतान के समय विक्रेता को दी जायेगी, दूसरी प्रति अगले दिन विपणन समिति को दी जायेगी, तीसरी प्रति खरीददार को दी जायेगी और चौथी प्रति कमीशन एजेंट द्वारा अपने रिकार्ड के लिए रखी जायेगी। जहाँ कोई कमीशन एजेंट नियुक्त नहीं किया जाता वहाँ खरीददार तीन प्रतियों में रसीद तैयार करेगा और उन्हे उपर्युक्त तरीके से वितरित करेगा।

(13) इसके विपरीत किसी लिखित समझौते के अभाव में, इन नियमों के अधीन खरीदे गए कृषि उत्पाद का विक्री मूल्य 'जे' फार्म देने पर, खरीददार द्वारा कमीशन एजेंट को दिया जायेगा।

(14) बिक्री के बाद कृषि उत्पाद की सुपुर्दगी तब तक नहीं की जायेगी या ली जायेगी जब तक कि कमीशन एजेंट या यदि विक्रेता द्वारा कोई कमीशन एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है, तो खरीददार, विक्रेता को फार्म 'जे' मे बिक्री प्रमाण- पत्र (वाउचर) नहीं दे देता।

27 **विवाद उप समिति और मध्यस्थ की नियुक्ति :-**

(1) विपणन समिति अपने सदस्यो मे से एक उप समिति का गठन कर सकती है, जो विवाद उप समिति कहलायेगी, इसमें (शामिल) होगे :-

(क) समिति का कोई सदस्य इसके उपाध्यक्ष के रूप में ;

(ख) विपणन समिति के दो किसान प्रतिनिधि ;

(ग) उपभोक्ताओ के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला विपणन समिति का एक प्रतिनिधि ;

(घ) विपणन समिति से व्यापारियों का एक प्रतिनिधि ;

(2) विपणन समिति, उपाध्यक्ष परिषद की स्वीकृति से प्रत्येक बाजार परिसर के लिए, उपर्युक्त विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थों के रूप मे काम करने के लिए 6 व्यक्तियों की सूची बना सकती है। सूची में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अच्छा ज्ञान और बाजार क्षेत्र मे रहने का पर्याप्त अनुभव रखने वाला होगा या वह, जिस बाजार परिसर की सूची तैयार की जा रही है, उसमें व्यापार करने वाला व्यापारी हो। मध्यस्थों के नाम की सूची सूचना पटट (नोटिस बोर्ड) और बाजार में कुछ विशिष्ट स्थानों पर लगाई जायेगी।

(3) जिस पार्टी के अनुरोध पर कोई विवाद मध्यस्थता के लिए, या निपटान के लिए विवाद उपसमिति को भेजा जाए वह विपणन समिति को फीस के रूप में एक सौ रुपये अग्रिम रूप में देगी।

28 **विवाद का निपटान :-**

(1) जहाँ धारा 43 के संदर्भ में, बाजार क्षेत्र में काम करने वाली किसी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो, वहाँ सचिव या विपणन समिति या उसकी तरफ से विपणन समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि (संबंधित) पार्टियाँ मध्यस्थता द्वारा विवाद-हल करने के लिए सहमत हों तो वह मामला मध्यस्थता के लिए भेज सकता है और ऐसी सहमति के अभाव में, नियम27 के अतर्गत विवाद उप समिति को भेज सकता है।

(2) जब पार्टियाँ मध्यस्थता के सहारे विवाद के निपटान के लिए सहमत हो, तो विवाद संसबद्ध प्रत्येक पार्टी और विपणन समिति का सचिव या विपणन समिति द्वारा अपनी तरफसे प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नियम 27 के उपनियम (2) में उल्लिखित, मध्यस्थों की सूची मे से मध्यस्थ/ मध्यस्थों का चयन करेगा।

(3) मध्यस्थ यथा संभव सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे परंतु असहमति की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा। पार्टियों को निर्णय की लिखित सूचना उसके कारण सहित भेजी जायेगी।

(4) यथा संभव प्रत्येक विवाद का निर्णय उसी स्थान पर और उसी दिन किया जायेगा।

(5) मध्यस्थ या विवाद उप समिति अपना निर्णय रिकार्ड करते समय विवाद से संबंधित प्रत्येक पार्टी द्वारा मध्यस्थ को दी जाने वाली फीस की मात्रा (राशि) भी तय करेगी। पार्टी द्वारा दी जाने वाली फीस की राशि, जिसके अनुरोध पर विवाद मध्यस्थता के लिए या विवाद उप समिति को भेजा गया हो, उसके द्वारा नियम 27 के उपनियम (3) के अंतर्गत दी गई राशि के विरूद्ध समायोजित की जायेगी अर्थात जो फीस तय की जायेगी उसमें से पहले दी गई राशि कम कर दी जायेगी।

(6) यदि, जिस पार्टी के अनुरोध पर मामला मध्यस्थता के लिए या विवाद उपसमिति को भेजा गया है, वह कोई फीस देने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो उसके द्वारा अग्रिम रूप से दी गई फीस राशि, मध्यस्थों या विवाद उप समिति; जैसा भी मामला हो, के निर्णय के दिन ही, उसको, विपणन समिति द्वारा वापस कर दी जायेगी।

29. विवाद उप समिति द्वारा कार्य- संपादन :-

(1) विवाद उप समिति द्वारा तब तक कोई कार्य संपादित नहीं किया जाये जब तक कि समिति के उपाध्यक्ष सहित तीन सदस्य उपस्थित न हों ;

परंतु उप नियम (1) के अंतर्गत कोरम (गणपूर्ति) के उद्देश्य से विवाद मे संलग्न पार्टियों के प्रतिनिधियों की गणना नहीं की जायेगी।

(2) विवाद उप समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी, और यदि वह अनुपस्थित हैं तो विवाद उप समिति के उपस्थित सदस्यों में से उस एक सदस्य द्वारा की जायेगी जिसे बैठक मे समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा इस अवसर पर पीठासीन प्राधिकारी के रूप में चुना जाए।

(3) सभी प्रश्नों का निर्णय वोट डालने वाले उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा। वोटों के बराबर रहने की स्थिति में पीठासीन प्राधिकारी द्वारा दूसरा या निर्णायक वोट डाला जायेगा।

(4) मध्यस्थ या विवाद उप समिति के निर्णय से दुखी (असंतुष्ट) पार्टी आदेश के बाद सात दिन के अंदर उपाध्यक्ष-परिषद को अपील कर सकती है।

(5) अपील ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जायेगी तथा उसमें जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो उसके लिए आपत्ति-आधार संक्षिप्त रूप में दिया जायेगा तथा उस आदेश की एक प्रति भी संलग्न की जायेगी। अपील, अपील कर्त्ता द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत एजेंट द्वारा उपाध्यक्ष, परिषद को प्रस्तुत की जायेगी।

(6) अपील- ज्ञापन पर पाँच रू0 की कोर्ट फीस, स्टैम्प, लगाई जायेगी। उपाध्यक्ष पार्टियों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देने के बाद उचित समय-सीमा में परिषद की तरफ से अपील का निर्णय करेगा। उपाध्यक्ष, परिषद का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

(7) प्रत्येक विपणन समिति सभी विवादों का पूरा रिकार्ड रखेगी।

30. तौल :-

(1) परिषद प्रत्येक बाजार क्षेत्र में बैग, अर्द्धबैग या एक पल्ली या डब्बे में भरे जाने वाले कृषि उत्पाद की पैकिंग इकाई का निशिचत मानक निर्धारित करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अतिरिक्त, कृषि उत्पाद के यूनिटों की पैकिंग नहीं करेगा या करवायेगा अर्थात निर्धारित वजन की ही पैकिंग होगी।

(3) पैकिंग यूनिट के संबंध में बाजार मे किए जाने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में यह माना जायेगा कि वह उप नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार ही किए जा रहे हैं।

(4) बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद के ढेर की तुलाई पूरी होने पर, तुरंत, अनुबंध की कोई भी पार्टी ढेर मे से 10% पैकिंग यूनिटों या दो पैकिंग यूनिटो, जो भी अधिक हो, की परीक्षण- तौल करा सकती है। परीक्षण जॉच तुलाई के स्थान पर ही की जायेगी और यदि कोई परीक्षण-तौल नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि उत्पाद का वजन ठीक तरह से किया गया है।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत तुलाई, अनुबंध की दोनों पार्टियों की उपस्थिति में की जायेगी। यदि कोई पार्टी समिति के सचिव या परिषद के किसी उस कर्मचारी को जो निरीक्षक के पद से कम न हो, तथा मौके पर उपलब्ध हो, को लिखित रिपोर्ट कर सकती है, जो कि रिपोर्ट के औचित्य से संतुष्ट होने के बाद अपनी उपस्थिति में या उसके द्वारा प्राधिकृत समिति के किसी अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में वजन की जांच करायेगा और उस वजन का जॉच परिणाम अंतिम और निर्णायक होगा और दोनों पार्टियों को मानना होगा।

(6) किसी बाजार क्षेत्र से क्रय-विक्रय अनुबंध के अनुसरण में तौले गये कृषि उत्पाद को तौल के स्थान से हटाने से पहले समिति का अध्यक्ष या सचिव या उन दोनों में से किसी के द्वारा प्राधिकृत समिति का कोई कर्मचारी या परिषद का निरीक्षण-अधिकारी स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के लिए कि उसका वजन ठीक तौला गया है या उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार भरा गया है, तो वह किसी समय भी बिना किसी पूर्व सूचना के उस वजन की जांच समिति द्वारा रखे गए माप-तौल उपकरणो की सहायता से या किसी अन्य एजेंसी द्वारा रखे गए उपकरणों द्वारा खरीददार और विक्रेता की उपस्थिति में और यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही अपनी उपस्थिति से बचें तो वहाँ उपस्थित किन्ही दो व्यक्तियों की उपस्थिति में वजन (तौल) की जाच कर सकता है।

(7) यदि उपनियम (6) के अंतर्गत की गई जाच के अनुसार तौल गलत पाई जाती है तो जाच करने वाला व्यक्ति ढेर का फिर से वजन करने का आदेश दे सकता है। दुबारा तौलने का खर्च खरीददार द्वारा दिया जायेगा यदि वह उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं भरा गया है और यदि उसमें कोई अन्य कमी पाई जाए तो उसका खर्च संबंधित तौला द्वारा दिया जायेगा। ये आदेश अंतिम होंगे और खरीददार या तौला, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इनका तुरंत पालन किया जायेगा। इस उपनियम के लागू होने का अधिनियम, या नियम या उपविधियों के अंतर्गत दी जाने वाली किसी अन्य सजा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31 तौल- उपकरणों बाटो का उपयोग, उनका निरीक्षण और जब्ती :-

(1) केवल वे ही मापतौल उपकरण प्रयोग में लाए जाऐगें जो ऐसे तौल और माप की आवश्यक्ताओ को पूरा करें तथा बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद का वजन करने या मापने के लिए, तौल और माप (प्रर्वत्तन) अधिनियम 1985 जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित मानकों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परंतु बाजार क्षेत्र के मुख्य बाजार और सहायक बाजार में कृषि उत्पाद के क्रय- विक्रय के लिए केवल बीम स्केल (कांटे) या प्लेटफार्म कांटे का ही प्रयोग किया जायेगा।

(2) प्रत्येक समिति बाज़ार परिसर में एक क्विंटल की क्षमता वाला कम से कम एक तौल उपकरण (कांटा), दो बाटों के सैट सहित रखेगी और जिन स्थानों पर मापक का प्रयोग होता है वहाँ मापक के दो सैट, तौल और माप मानक (प्रर्वत्तन) अधिनियम, 1985 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सत्यापित और मोहर लगे हुए रखे जायेंगे। समिति उक्त अधिनियम और नियमों की आवश्यक्ताओ के अनुसार नियुक्त की गई एजेंसी द्वारा एक वर्ष में एक बार इन कांटों और मापकों की जांच और प्रमाणित करायेगी।

(3) किसी समिति का सचिव इस नियम के अंतर्गत रखे जाने वाले माप-तौल के साधनों की तुलना में किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में रखे हुए तौल और माप के साधनों की निःशुल्क जाच की अनुमति देगा।

(4) एक समिति द्वारा इस नियम के अंतर्गत रखे गए वजन करने वाले उपकरण, और बटटों आदि का निरीक्षण परीक्षा और जांच परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो विपणन अधिकारी से नीचें पद का न हो, किसी समय भी की की जा सकती हैं। निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्राधिकारी ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे। समिति ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(5) परिषद या समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और परिषद द्वारा अपनी तरफ से प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के किसी लाइसेंस धारक द्वारा रखे गए और प्रयोग में लाए जाने वाले तौल उपकरणों, बटटों का निरीक्षण, जांच और परीक्षा कर सकता है, और प्रत्येक लाइसेंस धारक आवश्यक्तानुसार, अपने पास रखनें वाले माप उपकरणों और बटटों को निरीक्षण, जाँच या परीक्षा करने के हकदार व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने को बाध्य होगा।

(6) उपनियम 5 के अंतर्गत, तौल-उपकरण या बटटों की परीक्षा और जाच के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसा करते समय निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :-

(क). किसी विवादास्पद तौल और माप के साधन या बटटे अथवा उपकरणों को जब्त करना या कब्जे में करना;

(ख) ऐसे तौल और माप के साधनों या उपकरणों द्वारा बेची गई या वितरित की गई या बिकवाई गई या वितरित करबाई गई वस्तुओ व उपकरणों को उनसे संबंधित किसी दस्तावेज या रिकार्ड सहित जब्त करना या कब्जे में लेना ;

(ग) किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश करना जहां बट्टे या माप-तौल के उपकरणों का व्यापार-कार्य के लिए प्रयोग किया जाता हो या व्यापार या वाणिज्य में प्रयोग में लाने के लिए रखे गए हो, और ऐसे माप-तौल के साधनों और उपकरणों का निरीक्षण ; और

(घ) किसी व्यापारी या कर्मचारी या व्यापारी के ऐजेंट से निरीक्षण के लिए ऐसे बट्टों या माप-तौल के साधनों तथा उपकरणों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने को कहना जिनका उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है या जो उसके कब्जे में हो या जो व्यापार में प्रयोग करने के लिए किसी स्थान पर रखे गए हों।

32 <u>नियमों की संरचना और माप-तौल संबंधी विवाद</u> :-

(1) अधिनियम की धारा 74 के प्रावधान की शर्तों के अंतर्गत, जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद से संबंधित किसी पार्टी के अनुरोध पर, सभी सूचनाओं और आधारों (कारणों) को समिति के सचिव के ब्यान सहित, निदेशक द्वारा उसे निर्णय के लिए नियन्त्रक, माप-तौल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा जायेगा।

(2) उपर्युक्त नियम (1) के अंतर्गत यदि कोई पार्टी नियन्त्रक के निर्णय से सहमत न हो तो वह उस निर्णय/आदेश की प्राप्ति पर सात दिन के अंदर उसके विरुद्ध उपराज्यपाल को अपील कर सकती है।

(3) अपील ज्ञापन के रूप में होगी व उस पर दस रूपये की कोर्ट फीस लगाई जायेगी तथा उसमें तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, अपील के कारण (आधार) और आदेश/निर्णय की एक प्रति भी संलग्न की जायेगी तथा वह निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) अपील का निर्णय, उपराज्यपाल या उनके द्वारा अपनी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जायेगा।

33 <u>तौल-सेतु, मापक शाई और तौल या माप के प्रमाण-पत्र</u> :-

(1) समिति बाजार में और उसके बाहर, इसके उपनियमों द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर कृषि उत्पाद को तौलने के लिए तौल-सेतु लगा सकती है।

(2) जिन स्थानों पर कृषि उत्पाद का वज़न करने के बजाए उसको मापने की परंपरा है वहां समिति इस कार्य के लिए, बाजार के अंदर या बाहर स्थान नियत कर सकती है और ऐसे उत्पाद को उपनियमों द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर मापने की व्यवस्था कर सकती है।

(3) समिति, ऐसे तौल- सेतु या मापक शाई के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी और उसके उपनियमों द्वारा निर्धारित फार्म में, स्थिति अनुसार निःशुल्क तौल या माप प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

(4) उपर्युक्त उपनियम (3) के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार होगा जब तक कि समिति- अध्यक्ष या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुसार यह सिद्ध न हो जाए कि तौल या माप गलत तौल-

सेतु या मापक यार्ड पर किया गया है या वह गलत बटटों द्वारा तथा गलत तराजू पर तौला गया है।

34 **कृषि उत्पाद में मिलावट की रोकथाम :-**

(1) कोई व्यक्ति कृषि उत्पाद में मिलावट नही करेगा न ही उसे रखेगा या मिलावट किए हुए कृषि उत्पाद को बाजार क्षेत्र में बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) यह समिति की ड्यूटी होगी कि वह बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद की मिलावट को रोके। समिति-अध्यक्ष या सचिव ऐसी मिलावट के रोकने या निरुत्साहित करने के लिए अपनी शक्ति (अधिकार क्षेत्र) के अंदर सभी या कोई आवश्यक कदम उठा सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के उद्धेश्य से कृषि उत्पाद की मिलावट में घटिया उत्पाद को बढ़िया उत्पाद में मिलाना, विभिन्न किस्मों या कोटि के सामान को एक साथ मिलाना, कृषि उत्पाद को छानने के बाद शेष बचे भाग को कृषि उत्पाद में मिलाना, उसमें मिटटी, कूड़ा और पत्थर या कोई भी बाहरी पदार्थ मिलाना शामिल होगा।

35 **कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) और मानकीकरण :-**

(1) विपणन- समिति बाजार में बेचे गए अधिसूचित कृषि उत्पाद का एक मानक नमूना सैट विक्रेताओ और खरीददारों के प्रयोग के लिए रखेगी और आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे बदलेगी। विपणन समिति विक्रेताओ और खरीददारों की सूचना के लिए कृषि उत्पाद के विभिन्न श्रेणी के नमूने रखने और प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था करेगी और साथ ही आवधिक व महत्वपूर्ण बाजारों में प्रचलित दरों के आधार पर उनके तुलनात्मक मूल्यो का निदर्शन भी करेगी।

(2) विपणन समिति :-

(क) उपाध्यक्ष, परिषद द्वारा समय-समय पर उल्लिखित अधिसूचित कृषि उत्पाद के श्रेणीकरण का कार्य कर सकती है; और

(ख) मिलावट को रोकने के लिए बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद-संसाधन का पर्यवेक्षण कर सकती है।

36 **आनुषंगिक, बाजार सेवा, तुलाई और कृषि उत्पाद वितरण फीस :-**

(1) लाइसेंस धारक कमीशन एजेंटों, आढ़तियों तौल माप करने वालों, सर्वेक्षकों, गोदाम में काम करने वालों, पल्लेदारों, टॉसपोर्टरों और कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय से संबंधित कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियो को देय फीस वह होगी जो समिति की उपविधियों में उल्लिखित की जाए।

(2) अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अतर्गत कृषि उत्पाद की ढुलाई और उसके वितरण के संबंध मे देय फीस वह होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा तय की जाए।

37(I) <u>विपणन समिति द्वारा कुछ मामलों में (सहायता) प्रदान करना</u> :-

सरकार या परिषद को देय संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद विपणन समिति, अधिनियम की धारा 55 की शर्तो के अधीन और इन नियमों अन्य सब प्रावधानों के अनुसार उपाध्यक्ष, परिषद की पूर्व स्वीकृति से अपने अधिकार मे रखी निधि में से (खर्च की) अनुमति प्रदान करेगी :-

(क) बाजार संस्थापित करने के लिए किसी अहाते या भवन के रखरखाव या विकास के लिए ;

(ख) बाजार के उद्धेश्य से आवश्यक निर्माण और मरम्मत और अन्य निर्माण के लिए;

(ग) बाजार मे विकास कार्य और सुविधाए प्रदान करने के लिए ;

(घ) बाजार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थय, सुविधा और सुरक्षा के लिए ;

(च) विपणन समिति के सेवकों या बाजार क्षेत्र मे कृषकों के हित में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए ;

(छ) घोषित/अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रचार और विकास के लिए ;

(ज) विविध खर्चो के लिए, जो उसकी एक वर्ष की कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक न हो तथा ऐसा खर्च एक समय मे दस हजार रूपये से अधिक न हो ;

(झ) बाजार क्षेत्र में घोषित/अधिसूचित कृषि उत्पाद कार्य को अधिक कुशलता प्रदान करने वाली गतिविधियों के लिए ;

(त) विपणन समिति के स्वामित्व वाली, नष्ट होने वाली सम्पति जिसमे बेकार स्टाक, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी और अन्य वस्ततुएं शामिल है।

(II) <u>विपणन समिति के कर्त्तव्य (ड्यूटी)</u> :-

विपणन समिति, उपाध्यक्ष, परिषद या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा वांछित सभी सूचनाए देगी। अधिनियम, नियम और उनके अंतर्गत बनाई गई उपविधियों द्वारा निर्धारित ड्यूटीज के अतिरिक्त एक विपणन समिति निम्न बातों के लिए भी उत्तरदायी होगी :-

(क) अपने अधिकारियों द्वारा की जाने वाली सभी प्राप्तियों और अदायगियों की ठीक तरह से जॉच करना ;

(ख) बाजार निधि से आदेय (भुगतान किए जाने वाले) सभी कार्यो का ठीक निष्पादन ;

(ग) अपने कार्यालय में अधिनियम, नियमों और उनके अतर्गत जारी अधिसूचनाओ और उपनियमों की एक प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिए रखना ;

(घ) विपणन समिति की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऐसे कार्यो को करना जो इसके लिए आवश्यक हों।

(III) विपणन समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर कोई सूचना या विवरण देने में असफल रहने पर, उपाध्यक्ष, परिषद , विपणन समिति को उचित नोटिस देने के बाद अपने अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति को, विवरण या विवरणों को तैयार करने और इसे उनको या उसको (उपाध्यक्ष) प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकता है। समिति-अध्यक्ष और सचिव, उस व्यक्तिको विवरण या विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं देंगे। ऐसा विवरण या सूचना प्राप्त करने के लिए परिषद द्वारा किया गया खर्च विपणन समिति द्वारा वहन किया जायेगा और वह विपणन समिति से वसूली योग्य होगा।

## अध्याय -V
## बाजार-शुल्क की उगाही और वसूली

38 **कृषि उत्पाद की बिक्री पर फीस (शुल्क) की उगाही या वसूली :-**

(1) विपणन समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित बाजार फीस की राशि कमीशन एजेंट द्वारा या अन्य प्रकार से खरीददार से वसूल करे। यदि यह कमीशन एजेंट द्वारा वसूल की जाती है तो वह धारा 65 और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार फीस देगा।

(2) जहाँ कृषि उत्पाद कमीशन एजेंट के माध्यम से नहीं खरीदा या बेचा जाता है वहाँ बाजार-फीस व्यापारी द्वारा दी जायेगी।

(3) धारा 62 के अंतर्गत उगाही गई फीस और अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अंतर्गत कृषि उत्पाद की तुलाई और उसकी सुपुर्दगी के संबंध में देय फीस, फीस प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण प्राधिकृत, समिति- अधिकारी को, लेन देन के दिन या अगले कार्य दिवस को समिति द्वारा निर्धारित समय के अंदर दी जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकारी द्वारा, उक्त फिस की अदायगी करने वाले व्यक्ति को उसी समय फार्म 'के' में रसीद दी जायेगी।

(5) समिति द्वारा फीस की वसूली के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के कार्यालय-बैज (बिल्ला) उस रूप में दिया जायेगा जैसा कि इसके द्वारा निर्धारित किया गया हो।अपनी ड्यूटी करते समय संबधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा वह बैज लगाया जायेगा।

(6) उसी बाजार क्षेत्र में उस अधिसूचित कृषि उत्पाद के संबंध में बाजार फीस फिर से नहीं लगा और वसूल की जायेगी जिसके लिए वह फीस पहले लगाई और वसूल कर ली गई हो।

(7) इस नियम के उद्देश्य से, अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री एक बाजार क्षेत्र में की गई मान जायेगी :-

( क) यदि इसे बाजार या बाजार क्षेत्र में छोड़ा गया हो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध हो जाए ;

( ख) यदि उसकी बिक्री का समझोता उक्त क्षेत्र मे हुआ हो ; या

( ग) यदि बिक्री समझौते के अनुसरण में उक्त क्षेत्र मे कृषि उत्पाद का वजन किया गया हो ; या

( घ) यदि बिक्री समझौते के अनुसरण में कृषि उत्पाद उक्त क्षेत्र में खरीददार या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया हो ; या

( च) यदि उपनियम ( 7) में वर्णित निर्णय के अनुसार किसी लेनदेन के मामले में दो या अधिक बाजार- सीमाए आती हो अर्थात वह लेनदेन दो या अधिक बाजार\ क्षेत्र की सीमा में निष्पादित हुआ हो तो बाजार फीस उस समिति को देय होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में बिक्री समझौते के अनुसरण में कृषि उत्पाद को तौला गया, हो और यदि कोई तुलाई नहीं की गई हो तो उस समिति को फीस देय होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में कृषि उत्पाद की सुपुर्दगी की गई हो।

39. लेनदेन (व्यापार) और फीस का खाता रखा जाएगा :-

(1) प्रत्येक लाइसेंस धारक कमीशन एजेंट 'एल' फार्म में अपना विवरण लेनदेन के दिन या उससे अगले दिन या उपनियम में उल्लिखित तिथि को समिति को प्रस्तुत करेगा जिसमें कृषि उत्पाद के प्रत्येक सौदे की खरीद और बिक्री को दर्शाया जायेगा।

परंतु उस डीलर (व्यापारी) के मामले में जो केवल फलों और सब्जियों का ही कार्य करता है, यह आवश्यक नहीं होगा कि फार्म 'एल' में उस व्यक्ति का विवरण भरा जाए जिसे एक क्विंटल से कम फल या सब्जियाँ बेची गई हैं या जिनका मौद्रिक मूल्य पाँच सौ रुपये से कम है, दोनों में से जो कम हो ;

इसमें आगे शर्त यह है कि एक कमीशन एजेंट जो समिति को फार्म 'जे' की एक प्रति भेजता है उसे विपणन समिति को फार्म 'एल' भेजने से छूट प्राप्त होगी और खरीददार फार्म 'एल' मे केवल प्रत्येक विक्रेता से खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के संबंध मे उसकी कुल मात्रा और कुल मूल्य दर्शायेगा।

(2) समिति, व्यापारियों द्वारा की गई कुल खरीद और बिक्री और उनसे वसूल की जाने वाली व वसूल की गई फीस के दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखेगी।

(3) यदि कोई व्यापारी या कमीशन एजेंट उपनियम (1) में निर्धारित किसी अवधि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विपणन समिति के पास ऐसा मानने के कारण हैं कि वह विवरण ठीक नही है तो वह संबंधित व्यापारी या कमीशन एजेंट को फार्म 'एम' में नोटिस देने के बाद किसी अधिकारी को पूछताछ करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और ऐसी जांच करने के बाद वह अधिकारी जो आवश्यक समझे, वह मामला प्रसंगाधीन अवधि में व्यापारी या कमीशन एजेंट द्वारा व्यापार राशि के मूल्यांकन की कार्यवाही के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यापारी/आढ़ती या कमीशन एजेंट नियमित रूप से विवरण जमा कराने में चूक करता है या यदि समिति की राय में वह नियमित रूप से गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो

समिति उस व्यापारी/आढ़ती या कमीशन एजेंट के खातों का निरीक्षण करने का आदेश दे सकती है।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत आदेश जारी करने के बाद समिति यथा स्थिति व्यापारी या कमीशन एजेंट को निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि और स्थान की सूचना देगी।

(6) समिति उपनियम (4) और (5) के अंतर्गत जारी निरीक्षण - आदेश को पूरा करने के लिए, अपने सदस्यों में से एक या अधिक सदस्यों को प्राधिकृत कर सकती है। ऐसे सदस्य या सदस्यों को समिति के सचिव या समिति के उन कर्मचारीयों द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हों।

(7) ऐसे सदस्य या सदस्यो द्वारा निरीक्षण करने केबाद विवरण तैयार किया जायेगा या पहले से प्रस्तुत विवरण में, व्यापारी के खाते बही में दिखाये गए लेन देन के आधार पर संशोधन किया जायेगा और मूल्यांकन के बाद समिति उपनियमो में उल्लिखित नियम के अनुसार फीस की उगाही कर सकती है। यदि लेखा पुस्तके अविश्वसनीय बताई जाएं या विवरण की ठीक तैयारी या संशोधन के लिए पर्याप्त सामग्री न प्रदान की गई हो या ऐसी पुस्तकें तैयार न की गई हों या प्रस्तुत न की गई हों तो समिति उपलब्ध सूचना के आधार पर या श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर व्यापारी के कार्य-व्यापार की राशि का निर्धारण कर सकती है।

परंतु ऐसे निर्धारण को अंतिम रूप देने से पूर्व, संबंधित कमीशन एजेंट को यह बताने का उचित अवसर दिया जायेगा कि इस निर्धारण को अंतिम रूप क्यों नही दिया जाना चाहिए।

(8) विवरण जमा करने में गलती का आदी या गलत विवरण प्रस्तुत करने का आदी होना, लाइसेंस निलंबित या रद्ध करने या उसके नवीकरण से मना करने के लए पर्याप्त आधार होगा और इस नियम का प्रावधान उस कार्यवाही के अतिरिक्त और उससे प्रभावित हुए बिना लागू होगा जो अधिनियम या इन नियमों, या उप-विधियों या समिति के आदेश द्वारा किसी व्यापारी की कोई ड्यूटी लगाई हो तो उसके अनुपालन न करने या गलत अनुपालन करने के लिए किसी अन्य नियम, दण्ड या अन्य प्रकार से लागू हो।

(9) उपनियम (7) और (8) के अंतर्गत किए गए निर्धारण की सूचना संबंधित कार्यकर्ता को फार्म 'एन' में दावा (मांग) नोटिस द्वारा दी जायेगी और उसके द्वारा लिखित आवेदन करने और समिति को निर्धारित प्रतिलिपि फीस देने के बाद निर्धारण आदेश की प्रति उसे दी जा सकेगी।

(10) प्रतिलिपि समिति-कार्यालय मे तैयार की जायेगी और सचिव या उसकी अनुपस्थिति मे अध्यक्ष द्वारा इसकी तरफसे नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसका ठीक होना प्रमाणित किया जायेगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर आवेदन-प्राप्ति, प्रतिलिपि तैयार करने और आवेदक को देने की तिथियाँ दी जायेंगी और वह इन तिथियों के यथातथ्य होने का निर्णायक प्रमाण होगा।

(11) उपर्युक्त उपनियम (7) और (8) के अंतर्गत निर्धारित की गई बाजार फीस में से, यदि कोई पहले दी गई राशि हो तो वह कम करके शेष राशि कमीशन एजेंट द्वारा निर्धारण आदेश की प्राप्ति-तिथि से 15 दिन के अंदर दी जायेगी।

(12) यदि कोई कमीशन एजेंट उप नियम (11) द्वारा अपेक्षित बाजार फीस की राशि देने मे असफल रहता है तो वह देय बाजार फीस के अतिरिक्त उस देय राशि पर 2% प्रतिमाह साधारण ब्याज देगा, यह ब्याज विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तुरंत बाद उपनियम (7) और (8) के

अंतर्गत किए गए निर्धारण की तिथि तक देय होगा तथा उसके बाद वसूली तक इसकी दर 3% प्रति माह होगी।

40 **अपील-प्रक्रिया :-**

(1) यदि कोई कमीशन एजेंट, नियम 39 के उप नियम (7) और (8) के साथ पठित धारा 68 के अंतर्गत किए गए निर्धारण से व्यथित है तो वह उस आदेश की प्राप्ति पर 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेजों और अपील करने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित निदेशक को अपील कर सकता है और उस पर दस रूपयें की कोर्ट फीस लगाई जायेगी।

(2) निदेशक अपील पर विचार करेगा और अधिनियम की धारा 67 के प्रावधान के अनुरूप, उचित समय सीमा में आदेश जारी करेगा जो कि अंतिम होगा तथा वह कमीशन एजेंट और विपणन समिति दोनों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।

41 **लाइसेंस धारक के खातों का निरीक्षण :-**

बाजार क्षेत्र के अंदर काम करने वाला प्रत्येक लाइसेंस धारक और नियम 20 के अंतर्गत लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त व्यक्ति, समिति के सचिव या अध्यक्ष या परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा अपनी तरफ से प्राधिकृत परिषद के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपने खाते निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा। सभी या कोई फार्म या उसके द्वारा बिक्री, खरीद, भण्डारण, परिवहन या अधिसूचित कृषि उत्पाद संसाधन, जो उसके पास है और उसके कार्यालय, संस्था-गोदाम, वाहन से संबंधित लेखा पुस्तकें, उस समय और स्थान पर प्रस्तुत करेगा जैसा कि उसके द्वारा करना अपेक्षित हो और यदि आवश्यक हो तो किसी निरीक्षण अधिकारी को उक्त फार्म या पुस्तकों में से कोई या सभी, रसीद लेकर सौंप देगा।

42 **निर्धारित फार्मो का परिरक्षण ( सुरक्षित रखना):-**

'जे' और 'एल' फार्मो के प्रतिपर्णो (काउंटर फाइलस) को संबंधित व्यापारी द्वारा, फार्म जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा।

## अध्याय -VI
## विविध

43 **खाते प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति, प्रवेश, निरीक्षण, वाहनों को जब्त करने और रोकने की शक्ति :-**

(1) धारा 17, 56, 57 और 58 के प्रावधानों की शर्तो के अनुसार, परिषद का कोई अधिकारी जो सचिव, विपणन समिति के पद से नीचे न हो तथा इसकी तरफ से प्राधिकृत हो, लिखित रूप में

किसी व्यक्ति को उसके द्वारा रखी गई किताबें (बही खाते) और अन्य दस्तावेज अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और खरीद, बिक्री, भण्डारण या अधिसूचित कृषि उत्पाद के संसाधन से संबधित कोई सूचना देने और उसके द्वारा बाजार फीस के भुगतान संबंधी सूचना, जो भी आवश्यक हो, देने के लिए कह सकता है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए सभी खाते व रजिस्टर और खरीद, बिक्री या कृषि उत्पाद के संसाधन जो उसके पास हैं, से संबधित दस्तावेज और उसका कार्यालय, प्रतिष्ठान, गोदाम या वाहन, उपनियम (1) में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुले रहेंगे।

(3) यदि ऐसे अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा देय बाजार फीस देने में टाल मटोल की है या टाल मटोल करने का प्रयास कर रहा है या किसी व्यक्ति ने बाजार क्षेत्र में लागू अधिनियम, नियम या उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत अधिसूचित कृषि उत्पाद खरीदा है, तो वह उन कारणों को लिखित में रिकार्ड करके ऐसे व्यक्तियों के ऐसे खाते, रजिस्टर या दस्तावेज जब्त कर सकता है जो आवश्यक हों, वह उनके लिए रसीद देगा और वह इनको केवल तब तक ही अपने पास रखेगा जब तक कि उनकी जांच के लिए आवश्यकता हो या संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उसकी आवश्यकता हो।

(4) यदि वह अधिकारी उपाध्यक्ष, परिषद का अधीनस्थ है तो तुरंत इस जब्ती की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को करेगा।

(5) किसी भी समय जब निदेशक या परिषद के किसी अधिकारी द्वारा जो विपणन समिति के सचिव के पद से नीचे न हो, ऐसा करना अपेक्षित हो तो चालक या किसी वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति, पात्र या अन्य वाहन के बाजार क्षेत्र से बाहर ले जाया जा रहा है या प्रस्तावित रूप से बाहर ले जाया जाना है, वाहन या अन्य सवारी जैसी भी स्थिति हो को रोकेगा और जब तक आवश्यक हो उसे रोके रखेगा और उस वाहन या सवारी में ले जाए जाने वाले सामान कृषि उत्पाद की जाच उस अधिकारी को करने देगा और उस कृषि उत्पाद से संबधित सारा रिकार्ड दिखायेगा और अपना व वाहन स्वामी का नाम पता व उस वाहन या अन्य सवारी मे ले जाए जाने वाले कृषि उत्पाद के स्वामी का भी नाम, पता बतायेगा।

44 समझौता :-

(1) समझौते द्वारा वसूली गई राशि उस राशि के अतिरिक्त होगी जो अधिनियम या इन नियमों या उपनियमों के अंतर्गत दोषी द्वारा देय है।

(2) बाजार फीस के देरी से भुगतान के मामले में यदि अध्यक्ष, समिति इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ जो संबधित व्यक्ति की पहुंच से बाहर है तो वह इस किए गए उल्लंघन को माफ कर सकता है ;

बशर्ते बाजार फीस समिति के पास लेनदेन के दिन से चार दिन के अंदर जमा करा दी गई हो।

45 जुर्माने :-

विपणन समिति या इसका सचिव, इसके उपनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति पर जुर्माना करने का आदेश दे सकता है, यह जुर्माना पाँच हजार रुपये तक हो सकता है;

परन्तु किसी व्यक्ति पर, कारण बताने का अवसर दिए बिना कोई जुर्माना नहीं किया जायेगा।

46 खरीददार द्वारा देय ब्याज :-

अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (3) के प्रावधान की शर्त के अनुसार यदि कोई खरीददार, अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (6) के अंतर्गत अपेक्षित, निविदाकार को तुरंत भुगतान करने में असफल रहता है तो वह निविदाकार को बिक्री-तिथि से भुगतान की तिथि तक उस दर से ब्याज देगा जो कि बैंकिंग संस्थानो द्वारा प्रतिभूति रहित ऋण पर निर्धारित अधिकतम दर से अधिक न हो। कृषि उत्पाद की बिक्री निविदाकार द्वारा करने की तिथि से 30 दिन के अंदर भुगतान न करने के मामले में मूलधन और उसका ब्याज विपणन समिति द्वारा खरीददार से भू राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगा।

47 प्रशासनिक रिपोर्ट :-

प्रत्येक विपणन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें प्राप्ति एंव खर्च के खातें, संपत्ति एंव देयताओ का तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा ऐसी अन्य सूचनाएं होंगी जो निदेशक या परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी करकें अपेक्षित हों और वह रिपोर्ट निदेशक/परिषद द्वारा उनकी तरफ से उल्लिखित अधिकारी को 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत की जायेगी।

48. शर्तें, जिनके अधीन एक समिति सरकार से ऋण ले सकती हैं और दूसरी समिति को ऋण दे सकती हैं :-

अधिनियम की धारा 72 के प्रावधान की शर्तो के अनुसार एक विपणन समिति सरकार से या दूसरी विपणन समिति से, परिषद की पूर्व स्वीकृति से ऋण लें सकती है और दूसरी विपणन समिति को ऋण दे भी सकती है । इस प्रकार दिया गया ऋण निम्नलिखित सामान्य शर्तो द्वारा नियमित किया जायेगा:-

(1) ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिए एक विशेष अवधि जो यथासंभव कम से कम हो, निर्धारित की जानी चाहिए। बहुत ही विशेष मामलों में यह अवधि तीस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(2) अवधि की गणना उस तारीख से की जायेगी जिससे ऋण पूरी तरह ले लिया जाए।

(3) ऋण का भुगतान किस्तों में किया जाना चाहिए जो आमतौर पर वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाएगी और भुगतान की निर्धारित तारीखों का हवाला करार में दिया जाएगा।

(4) निर्धारित तारीख से पहले दी गई किस्तें तब तक पूरी तरह से मूलधन के लिए ली जायेंगी जब तक कि पिछली अवधि का ब्याज देना बकाया न हो।

(5) ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी परंतु किसी ऋण की राशि पर दिए जाने वाले दिन का ब्याज लगेगा परंतु अदायगी के दिन का ब्याज नहीं लगेगा।

(6) जब किस्तों में ऋण लिया जाये तो इस प्रकार ली जाने वाली प्रत्येक किस्त को मूलधन की अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी के उद्धेश्य से अलग ऋण माना जायेगा। परंतु जहाँ एक वित्त वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न किस्तों को इस उद्धेश्य के लिए उस विशेष वित्त वर्ष के अंत में ही एक ही ऋण में समेकित करने की अनुमति मिल गई हो तो उसे ऊपर के नियम का अपवाद माना जाएगा। इस दूसरी स्थिति में ऋण की विभिन्न किस्तों पर उनको लेने की तारीख से समेकित करने की तारीख तक के लिए निर्धारित दर पर साधारण ब्याज लगेगा, जिसे ऋण लेने वाले को अदा करना पड़ेगा।

(7) सरकार द्वारा निर्धारित और अनुबंध में उल्लिखित शर्तों पर समिति सरकार से ऋण ले सकती है।

49. **दस्तावेजों आदि की प्रतियाँ :-**

विपणन समिति या परिषद के पक्ष में आवेदन करने पर आवेदक को परिषद या समिति या उनके अधिकारियों के निर्णयों, आदेशों या संकल्पों की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर उसके भाग के लिए एक रुपये तथा न्यूनतम पाँच रुपये के भुगतान पर दी जायेगी।

परंतु जहाँ अपील के मामलों में, रिकार्ड का निरीक्षण आवश्यक समझा जाए, याचिका-दाता ऐसे निरीक्षण की अनुमति के लिए निदेशक, कृषि विपणन को आवेदन करेगा और यदि निदेशक द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है तो याचिका-कर्त्ता उस एजेंसी को एक रुपया प्रति केस, फीस देगा जिससे ये दस्तावेज संबद्ध हैं।

50. **अभिलेख (रिकार्ड) का परिरक्षण :-**

परिषद और विपणन समिति का निम्नलिखित अभिलेख प्रत्येक के सामने लिखी गई अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा :-

| अभिलेख का विवरण | अवधि |
|---|---|
| 1 | 2 |
| बजट | 5 वर्ष |
| सामान्य रोकड़ बही | स्थायी |
| संस्थापना बिल | 35 वर्ष |

| | |
|---|---|
| सामान्य बिल | 3वर्ष |
| बैलेन्स शीट | 10 वर्ष |
| लैजर | 10 वर्ष |
| जमा राशि का रजिस्टर | स्थायी |
| आवेदन फार्म 'ए' | स्थायी |
| अन्य आवेदन फार्म | 3 वर्ष |
| दैनिक विवरण (फार्म 'एल') | 5 वर्ष, लेखा परीक्षा के बाद |
| खरीद और बिक्री/प्राप्ति पुस्तकें | 3 वर्ष |
| कृषि उत्पाद की बिक्री और खरीद का रजिस्टर | 10 वर्ष |
| लाइसेंस रजिस्टर | 10 वर्ष |
| भविष्य निधि रजिस्टर | 10 वर्ष या जब तक जिससे यह संबंधित हैं वे खाते बंद नहीं हो जाते। |
| कर्मचारियों की सेवा पुस्तकें | सेवा निवृति या मृत्यु ; जो भी पहले हो ; से पांच वर्ष बाद। |
| परिषद या समिति या उपसमिति की कार्यवाही क रजिस्टर | स्थायी |
| पत्र व्यवहार का रजिस्टर | स्थायी |
| चैक बुकें | 10 वर्ष |
| यात्रा भत्ता बिल | 3 वर्ष |
| पट्टा विलेख (लीज डीड) | 10 वर्ष, प्रभाव समाप्ति की तारीख से |
| जमानती बांड | —वही— |
| ट्रेजरी चालान | 3 वर्ष |
| अग्रदाय खाता रजिस्टर (इम्प्रैस्ट एकाउंट रजिस्टर) | 3 वर्ष |
| उपस्थिति रजिस्टर | 1 वर्ष |
| चल संपत्ति रजिस्टर | 10 वर्ष |
| पुस्तकालय रजिस्टर | 10 वर्ष |
| मांग और वसूली रजिस्टर | 10 वर्ष |
| टिकट रजिस्टर | 3 वर्ष |
| स्टाक रजिस्टर | 10 वर्ष |
| अदालती मामलों (कोर्ट के बिल) का रजिस्टर | 10 वर्ष |
| निवेश रजिस्टर | स्थायी |
| कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा से हटाने और बर्खास्त करने से संबधित फाइलें | 35वर्ष |

| | |
|---|---|
| अन्य अभिलेख जिन्हें परिषद या समिति तीन साल से अधिक समय तक सुरखित रखने का निणर्य करे। | वह अवधि (10 वर्ष से कम नहीं) जो परिषद या समिति द्वारा निर्धारित की जाए। |

51 **राष्ट्रीय महत्व की विपणन समिति :-**

ये नियम जहाँ तक अधिनियम के अध्याय- 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और जो उनमें उल्लिखित मामलों से संबद्ध हैं, वे अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय महत्व के बाजार की विपणन समिति के कार्यो के निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से लागू होंगे।

52 **नियमों का उल्लंघन दण्डनीय है :-**

कोई व्यक्ति जो इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसे भंग करता हैं तो वह दोष सिद्धि पर जुर्माने सहित दण्डनीय होगा तथा यह जुर्माना पाँच हजार रूपये तक हो सकता है।

53 ये नियम, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन ( विनियमन) ( सामान्य) नियम, 1978 का स्थान लेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम से।

(वाई0 डी0 बनकटा)
विशेष सचिव ( विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार